

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

1 मूला पुत्र स्व. गोगा जाति जाट निवासी कालांतालाय तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.
मुकाम अराई (अजमेर)
वादीगण2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.
प्रतिवादीगण
किरम मुकदमा- राज. का. अधि. धारा, 188 एवं धारा 131, 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम

बनाम

नंबर 30 / 2021

ऑनलाइन नंबर-2021 / 30

वकील वादीगण नरोतम शर्मा

वकील प्रतिवादीगण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
18.06.2021	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री नरोतम शर्मा ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 188 एवं राज. भू.राज. अधि. की धारा 131, 136 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28/7/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
28/7/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित/प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 6, 7 के तामिलशुद्ध नोटिस शामिल मिसल। प्रतिवादी सं. 6 स्वयं उप. प्रतिवादी सं. 2, 5 की ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा उप. छेडर वकालतभामा पेश ओ शामिल मिसल। वकील प्रतिवादी संख्या 2, 5 द्वारा उपस्थित पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 15। CPC पेश ओ शामिल मिसल। P.O. सा. राजभार मे वाता पत्रावली दिनांक 06/07/2021 को पेश हो। M.K.K.	
06/9/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्जकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनार/राजकार्य/सै. अचकार पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 11/10/20 को पेश हो। D	

